No.12012/20/2020-UPP(E-29262)
Government of India
Ministry of Chemicals & Fertilizers
Department of Fertilizers
****

Shastri Bhawan, New Delhi
Dated the 19th June 2025

To

The Chairman & Managing Director,
M/s. Rashtriya Chemicals & Fertilizers Limited (RCF),
Priyadarshini, Eastern Express Highway,
Soin, Mumbai - 400022.

Subject: - Revision in Provisional Concession Rates and Sales Tax Rates per MT of urea on account of quarterly escalation/de-escalation in input prices for 3rd quarter of 2024-25 in respect of RCF - Trombay.
****

Sir,

I am directed to say that it has been decided to revise the concession rates and Sales Tax per MT for urea produced by Rashtriya Chemicals & Fertilizers Limited (RCF)-Trombay on account of quarterly escalation/de-escalation in input prices for the 3rd quarter of 2024-25, as per details given below:

RCF-Trombay **Rs/MT**

Period	**Details**	**Existing rate**	**Revised rate**
01.10.2024 to 31.12.2024	Concession Price incl Sales Tax	**40,681**	**38,503**
Continuing Rate w.e.f. 01.01.2025	Concession Price incl Sales Tax	**40,681**	**38,503**

2. The above concession rates and sales tax rates are provisional subject to audit and revision on account of any correction in data / workings and computation, if noticed later.

3. You may prefer your claims on the basis of the revised concession price in the proforma prescribed by the FICC. Reduction in subsidy on account of downward revision of concession price may be duly adjusted in the arrears subsidy bills or fresh subsidy bills to be preferred with the FICC and in case no payments are due from the Government, the amount be refunded to the Government by due date.

4. This issues with the concurrence of the Finance Division of this

Department conveyed vide note #392 dated 03.06.2025 of E-File of even number.

Yours faithfully,

(P.G. Meithondai)
Under Secretary to the Govt. of India
Tele: 011-23387197

Copy to:

1. Controller of Accounts, Department of Fertilizers, Janpath Bhawan, New Delhi.
2. Director General, Fertilizer Association of India, 10 Shaheed Jit Singh Marg, New Delhi-110067.
3. ED, FICC
4. Director (CE), FICC
5. Director of Accounts, Fertilizer Accounts Wing, Department of Fertilizers, Udyog Bhawan, New Delhi.
6. Pay & Accounts Officer, Department of Fertilizers, Janpath Bhawan, New Delhi.
7. Jt. Director (F&A), FICC, 8th Floor, Sewa Bhawan, New Delhi - 110066
8. Fin-II Desk, Department of Fertilizers
9. US (IT), DoF for uploading the concession rate on website of the Department.
10. Guard File.

(P.G. Meithondai)
Under Secretary to the Govt. of India
Tele: 011-23387197

सं.12012/20/2020-यूपीपी (ई-29262)

भारत सरकार

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

उर्वरक विभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 18 जून, 2025 19th

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,
मैसर्स राष्ट्रीय केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
प्रियदर्शिनी, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे,
सायन, मुंबई- 400022

विषय: मैसर्स राष्ट्रीय केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफ) – ट्रोमबे के संबंध में वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही के लिए आदान मूल्यों में तिमाही वृद्धि/कमी के कारण यूरिया की प्रति मीट्रिक टन अनंतिम रियायत दरों और बिक्री कर दरों में संशोधन।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही के लिए आदान मूल्यों में तिमाही वृद्धि/कमी के कारण मैसर्स राष्ट्रीय केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफ)- ट्रोमबे द्वारा उत्पादित यूरिया की प्रति मीट्रिक टन अनंतिम रियायत दरों और बिक्री कर दरों को नीचे दिये गए विवरण के अनुसार संशोधित करने का निर्णय लिया गया है:

आरसीएफ- ट्रोमबे **रुपये/मीट्रिक टन**

अवधि	ब्यौरा	मौजूदा दर	संशोधित दर
01.10.2024 से 31.12.2024 तक	बिक्री कर सहित रियायत मूल्य	40681	38503
01.01.2025 से जारी दर	बिक्री कर सहित रियायत मूल्य	40681	38503

2. उपर्युक्त रियायत दरें और बिक्री कर दरें अनन्तिम हैं जो लेखा परीक्षा किए जाने तथा आंकड़ों/गणनाओं तथा परिकलनों में बाद में जानकारी में आए किसी त्रुटि-सुधार के कारण संशोधन किए जाने के अध्यधीन हैं।

3. आप एफआईसीसी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में संशोधित रियायत मूल्य के आधार पर अपने दावे प्रस्तुत कर सकते हैं। रियायत मूल्य में कटौती करते हुए संशोधन के कारण राजसहायता में कमी को बकाया राजसहायता बिलों अथवा एफआईसीसी को प्रस्तुत किए जाने वाले नये राजसहायता बिलों में विधिवत समायोजित किया जाएगा और यदि सरकार की ओर से कोई भुगतान देय न हो तो राशि को निर्धारित तिथि तक सरकार को लौटा दिया जाए।

4. इसे इस विभाग के वित्त प्रभाग की सहमति से जारी किया जाता है जिसकी सूचना समसंख्यक ई-फाइल द्वारा दी गई है।

भवदीय,

(पी.जी. मेथोंडाई)
अवर सचिव (यूपीपी)
दूरभाष: 23387197

प्रतिलिपि:

1. लेखा नियंत्रक।नई दिल्ली ,जनपथ भवन ,उर्वरक विभाग ,
2. महानिदेशक ,फर्टिलाइजर्स एसोशिएसन ऑफ इंडिया ,10 शहीद जीत सिंह मार्ग-नई दिल्ली ,110067.
3. कार्यकारी निदेशकएफआईसीसी ,
4. निदेशक (सीई), एफआईसीसी
5. निदेशक लेखानई दिल्ली ,उद्योग भवन ,उर्वरक विभाग ,उर्वरक लेखा विंग ,।
6. वेतन एवं लेखा अधिकारी।नई दिल्ली ,जनपथ भवन ,उर्वरक विभाग ,
7. संयुक्त निदेशक (एफएंडए), एफआईसीसी ,8वां तल-नई दिल्ली ,सेवा भवन ,110066
8. वित्तउर्वरक विभाग। ,।। डेस्क-
9. अवर सचिव को इसे विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए। (आईटी)
10. गार्ड फाइल।

(पी.जी. मेथोंडाई)
अवर सचिव (यूपीपी)
दूरभाष :23387197